1

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर (जयपुर ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर०ए०एस

मुकदमा नं० 128/2022

गणेशराम पुत्र हेमाराम जाति जाट निवासी भैंसावा तह० जोबनेर जिला जयपुर

....प्रार्थी

बनाम

1. राकेश पुत्र रामनिवास
2. वेदप्रकाश पुत्र रामनिवास
3. मुकेश पुत्र रामनिवास

समस्त जाति रैगर निवासी बिंदायका तह० जयपुर जिला जयपुर राज०

......अप्रार्थीगण

4. अर्जुनलाल पुत्र पन्नाराम
5. चन्द्राराम पुत्र पदमाराम
6. मोटाराम पुत्र लिखमाराम
7. श्यामाराम पुत्र लिखमाराम
8. हनुमानसहाय पुत्र हेमाराम
9. हीरा पुत्र हेमाराम

समस्त जाति जाट निवासी भैंसावा तह० जोबनेर

......प्रफार्मा अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर०टी०ए० एक्ट

1. श्री लोकेश शर्मा वकील प्रार्थी
2. श्री हनुमान जाखड वकील अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3

दिनांकः 21.02.2024

निर्णय

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर०टी० एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 1369/1257 वाके ग्राम भैंसावा तहसील जोबनेर में स्थित है जो कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 9 की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है। आ.0ख0नं0 1445/1258 अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की कब्जेकाश्त व खातेदारी की आराजी है। प्रार्थी को अपनी भूमि में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। जिससे प्रार्थी को अपनी खातेदारी की आराजीयात पर आने जाने कृषि उपकरण लाने ले जाने में भारी परेशानी हो रही है जिससे प्रार्थी को सख्त हक तल्फी है। विधि वजह प्रार्थी जरिये अदालत आ0ख0न0 1445/1258 में लगभग 12 फुट चौडा रास्ता कायम करा पाने के अधिकारी है। अतः आ0ख0न0 1445/1258 में लगभग 12 फुट चौडा रास्ता कायम किया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 मय वकील न्यायालय में उपस्थित आये । वकील अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र धारा 251 (क) का जबाब इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थी द्वारा आराजी खसरा संख्या 1369/1257 हेतु रास्ता चाहा गया है। जिसका कुल क्षेत्रफल 0.08 है0 है। जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/7 है। जिसमें प्रार्थी के हिस्से में मात्र 1 बिस्वा जमीन आती है। प्रार्थी द्वारा 12 फिट चौडे रास्ते की मांग की गयी है। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट खसरा संख्या 1367/1257 का प्रार्थी स्वयं खातेदार है। यह खसरा रास्ता बिन्दू ''डी'' से ''एफ'' से लगता हुआ है। इसलिए प्रार्थी को अलग से रास्ते की आवश्यकता नहीं है। इसलिए रास्ता कायम किया जाना उचित नहीं है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

तहसीलदार जोबनेर ने दिनांक 26.06.2023 को रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि मौके पर प्रार्थी द्वारा अपने आराजी खसरा नम्बर 1369/1257 में आ.0ख0नं0 1445/1258 से पहुंचने हेतु रास्ता चाहा गया है। प्रार्थी के पास ख0न0 804/1 एवं 805 में वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है परन्तु वह राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज नही है। प्रार्थी के लिए आ.0ख0नं0 1445/1258 में से ही निकटतम रास्ता है। उक्त रास्ता की भूमि अब्दूल रहमान प्रकरण से प्रभावित नही है। उक्त रास्ता की भूमि पर कोई स्थगन आदेश नही है। जिसे बिन्दू संख्या ''ए'' से ''सी'' तक दर्शाया है। जिसमें बिन्दू संख्या ''ए'' से ''बी'' तक खातेदारों द्वारा स्वयं के उपभोग हेतु रास्ते के रूप में प्रयोग की जा रही है। जिसकी लम्बाई 195 मीटर एवं चौडाई 12 फुट है। जिसका क्षेत्रफल लगभग 0.0712 है0 है। उक्त रिपोर्ट संबंधित खातेदारो की उपस्थिति में तैयार की गई है।

उक्त रिपोर्ट पर अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 13.09.2023 को अन्तिम बहस में यह आपत्ति प्रकट की गयी कि प्रार्थी द्वारा आराजी खसरा संख्या 1369/1257 हेतु रास्ता चाहा गया है। जिसका कुल क्षेत्रफल 0.08 है0 है। जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/7 है। जिसमें प्रार्थी के हिस्से में मात्र 1 बिस्वा जमीन आती है। प्रार्थी द्वारा 12 फिट चौडे रास्ते की मांग की गयी है। जिसमें प्रार्थी द्वारा आस–पास के खसरें भी स्वयं का होना बताया गया। इस आधार पर पुनः तहसीलदार, जोबनेर से रिपोर्ट प्राप्त की गयी।

तहसीलदार जोबनेर ने पुनः दिनांक 26.10.2023 को आराजी खसरा संख्या 1369/1257 के जुडवा खसरा संख्या की मौका एवं राजस्व रिकार्ड की रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

बहस वकील फरीकेन सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को एवं अप्रार्थीगण ने जवाब में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया है।

हमने वकील उभयपक्षकारान की बहस को सुना, मनन किया एवं पत्रावली पर उपलबध राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। यहाँ पर प्रार्थी द्वारा अपने आराजी खसरा नम्बर 1369/1257 में आ.0ख0नं0 1445/1258 से पहुंचने हेतु रास्ता चाहा गया है। तहसीलदार जोबनेर ने अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया है कि प्रार्थी के पास ख0न0 804/1 एवं 805 में वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है परन्तु वह राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज नही है। प्रार्थी के लिए आ.0ख0नं0 1445/1258 में से ही निकटतम रास्ता है। उक्त रास्ता की भूमि अब्दूल रहमान

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

प्रकरण से प्रभावित नही है। उक्त रास्ता की भूमि पर कोई स्थगन आदेश नही है। जिसे बिन्दू संख्या ''ए'' से ''सी'' तक दर्शाया है। जिसमें बिन्दू संख्या ''ए'' से ''बी'' तक खातेदारों द्वारा स्वयं के उपभोग हेतु रास्ते के रूप में प्रयोग की जा रही है। जिसकी लम्बाई 195 मीटर एवं चौडाई 12 फुट है। जिसका क्षेत्रफल लगभग 0.0712 है0 है।

उक्त मौका रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि मौका अनुसार प्रार्थी को न्यूनतम दूरी का रास्ता आ.0ख0नं0 1445/1258 से ही उपलब्ध है। प्रार्थी द्वारा मांगा गया रास्ता कृषि कार्य हेतु आवश्यक है। मौके की स्थिति अनुसार सुगम एवं सुविधा जनक रास्ता यही है।

जहां तक अप्रार्थीगण की आपत्ति का प्रश्न है कि प्रार्थी द्वारा जिस आराजी हेतु रास्ता चाहा गया है उसका कुल क्षेत्रफल 0.08 है0 है। जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/7 है। जिसमें प्रार्थी के हिस्से में मात्र 1 बिस्वा जमीन आती है। परन्तु तहसीलदार, जोबनेर द्वारा दिनांक 26.10.2023 को प्रस्तुत मौका एवं राजस्व रिकार्ड अनुसार इस खसरें से संलग्न खसरा संख्या 1368/1257, 1365/1257, 1366/1257, 1367/1257, 1370/1257, 1371/1257 प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 9 तथा अन्य खातेदार के नाम दर्ज है। मुताबिक नक्शे से भी यह स्पष्ट है कि आराजी खसरा संख्या 1369/1257 को रास्ते के रूप में ही छोडा गया है। तथा इस को मुख्य रास्ते से जोडने के लिए बिन्दू संख्या ''ए'' से ''सी'' तक रास्ते की आवश्यकता है। जिसमें बिन्दू संख्या ''ए'' से ''बी'' तक खातेदारों द्वारा स्वयं के उपभोग हेतु रास्ते के रूप में प्रयोग की जा रही है। इसलिए अगर इस प्रकार रास्ता दिया जाता है तो कृषि भूमि का कम से कम अपव्यय होगा। इसलिए अप्रार्थीगण की आपत्ति खारिज योग्य है।

ऐसी स्थिति में प्रार्थी को रास्ता दिया जाना उचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :-

प्रार्थी के आराजी खसरा नम्बर 1369/1257 तक आराजी खसरा नम्बर 1445/1258 में से होकर 12 फुट चौडा रास्ता दिये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार जोबनेर प्रार्थी से प्रचलित डीएलसी रेट की दुगनी राशि जमा कराकर खातेदारान को नियमानुसार अदा करेगे एवं राजस्व रिकार्ड में दिनांक 26.06.2023 एवं दिनांक 26.10.2023 की रिपोर्ट एवं मौका नक्शा अनुसार गैर मुमकिन रास्ते का इन्द्राज करेगें। यह रास्ता सार्वजनिक प्रयोग का रहेगा। तहसीलदार जोबनेर की रिपोर्ट दिनांक 26.06.2023 एवं दिनांक 26.10.2023 निर्णय के साथ जुज रहेगी।

निर्णय आज दिनांक 21.02.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जोबनेर, जिला-जयपुर

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर (जयपुर ग्रामीण)